सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

## राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

**कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : मैड,** **कैम्प दिनांक 12.06.2018**

**पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड** R.A.S.

**प्रार्थना पत्र संख्या :–** 35/2018 **दायर तारीख :–** 05-06-2018

1. विनोद देवी पत्नी अशोक कुमार मीना जाति मीना निवासी 194 प्रतापनगर विस्तार मुरलीपुरा स्कीम जयपुर
2. पंचम मीना पत्नी देशराज मीना जाति मीना निवासी वार्ड नं. 4 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झून्झूनू।

**—— प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

**—— अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्थायी सीमा निर्धारण**

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

**निर्णय**

***निर्णय दिनांक : 12.06.2018***

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी ने वाके ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 596/1.68, 597/0.51 हैक्टेयर की खातेदारी जरिए विक्रय पत्र खरीद कर नामान्तकरण संख्या 889 दिनांक 14.03.2015 से अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवायी है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार के सक्षम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू॰अ॰/2018/13119 दिनांक 14.05.2018 की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका द्वारा दिनांक 19.05.2018 को सीमाज्ञान मौके पर करवा लिया है, प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 596/1.68, 597/0.51 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 19.05.2018 आदि पेश किये।

Web Copy - Not Official

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मैड में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान, एवं पैरोकार सरकार को मजमा–ए–आम सुना गया ।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 596/1.68, 597/0.51 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू॰अ॰/2018/13119 दिनांक 14.05.2018 की पालना में दिनांक 19.05.2018 को सीमाज्ञान करवा लिया है, प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

## आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 596/1.68, 597/0.51 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

**निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट मैड दिनांक 12.06.2018 को सुनाया गया।**

( मुकेश कुमार मूंड ) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर